

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2016—वैशाख 2, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्र. 6145-127-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 अप्रैल, 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१६

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ३ का संशोधन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. धारा ४-ग का स्थापन.
५. धारा ५ का लोप.
६. धारा ५-क का संशोधन.
७. धारा ६-क का संशोधन.
८. धारा ६-ख का संशोधन.
९. धारा ६-ग का संशोधन.
१०. धारा ७ का संशोधन.
११. धारा ७-क का अन्तःस्थापन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)
अधिनियम, २०१६

[दिनांक २१ अप्रैल, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २२ अप्रैल, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.
- धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में शब्द "दस हजार" के स्थान पर, शब्द "तीस हजार" स्थापित किये जाएं.
- धारा ४ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द "पच्चीस हजार" के स्थान पर, शब्द "पैंतीस हजार" स्थापित किए जाएं.
- धारा ४-ग का स्थापन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—
- कम्प्यूटर आपरेटर/
अर्दली भत्ता. " ४-ग. प्रत्येक सदस्य को पंद्रह हजार रुपए प्रतिमास कम्प्यूटर आपरेटर/अर्दली भत्ता दिया जाएगा."
- धारा ५ का लोप. ५. मूल अधिनियम की धारा ५ का लोप किया जाए.
- धारा ५-क का संशोधन. ६. मूल अधिनियम की धारा ५-क में,—
- (एक) उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "६,००० किलोमीटर" के स्थान पर अंक तथा शब्द "१०,००० किलोमीटर" स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (३) में, शब्द "तीन हजार" के स्थान पर, शब्द "चार हजार" स्थापित किए जाएं."
- धारा ६-क का संशोधन. ७. मूल अधिनियम की धारा ६-क में, उपधारा (१) में,—
- (एक) प्रथम पैरा में, शब्द "पन्द्रह हजार" के स्थान पर, शब्द "बीस हजार" स्थापित किए जाएं;
- (दो) प्रथम परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि पेंशन में प्रतिवर्ष आठ सौ रुपए प्रतिमास जोड़े जाएंगे."

८. मूल अधिनियम की धारा ६-ख में, शब्द "दस हजार" के स्थान पर, शब्द "अठारह हजार" स्थापित किए जाएं और पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

धारा ६-ख का संशोधन.

"परंतु परिवार पेंशन में प्रतिवर्ष पांच सौ रुपए प्रतिमास जोड़े जाएंगे."

९. मूल अधिनियम की धारा ६-ग में, शब्द "दस हजार" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा ६-ग का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा ७ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ७-क का अन्तःस्थापन.

"७-क. मृत सदस्य के आश्रित को पांच लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा.

अनुग्रह अनुदान.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्र. 6145-127-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 15 OF 2016

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 3.
3. Amendment of Section 4.
4. Substitution of Section 4-C.
5. Deletion of Section 5.
6. Amendment of Section 5-A.
7. Amendment of Section 6-A.
8. Amendment of Section 6-B.
9. Amendment of Section 6-C.
10. Amendment of Section 7.
11. Insertion of Section 7-A.

MADHYA PRADESH ACT

No. 15 OF 2016

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

[Received the assent of the Governor on the 21st April, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 22nd April, 2016].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

- Short title.** 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.
- Amendment of Section 3.** 2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "ten thousand", the words "thirty thousand" shall be substituted.
- Amendment of Section 4.** 3. In Section 4 of the principal Act, for the words "twenty five thousand", the words "thirty five thousand" shall be substituted.
- Substitution of Section 4-C.** 4. For Section 4-C of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—
- Computer Operator / Orderly allowance.** " 4-C. There shall be paid to every member a Computer Operator / Orderly allowance of fifteen thousand rupees per mensem."
- Deletion of Section 5.** 5. Section 5 of the principal Act, shall be deleted.
- Amendment of Section 5-A.** 6. In Section 5-A of the Principal Act :—
- (i) in sub-section (1), for the figure and word "6,000 kilometers", the figure and word "10,000 kilometers" shall be substituted;
- (ii) in sub-section (3), for the words "three thousand", the words "four thousand" shall be substituted."
- Amendment of Section 6-A.** 7. In Section 6-A of the principal Act, in sub-section (1),—
- (i) in the first paragraph, for the words "fifteen thousand", the words "twenty thousand" shall be substituted;
- (ii) in first proviso, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted namely :—
- "Provided further that eight hundred rupees per month shall be added per year in pension."
- Amendment of Section 6-B.** 8. In Section 6-B of the principal Act, for the words "ten thousand", the words "eighteen thousand" shall be substituted and for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—
- "Provided that five hundred rupees per month shall be added per year in family pension."

- | | |
|---|---|
| <p>9. In Section 6-C of the principal Act, for the words “ten thousand”, the words “fifteen thousand” shall be substituted.</p> | <p>Amendment of Section 6-C.</p> |
| <p>10. In Section 7 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “five thousand”, the words “ten thousand” shall be substituted.</p> | <p>Amendment of Section 7.</p> |
| <p>11. After Section 7 of the principal Act, the following Section shall be inserted, namely :—</p> | <p>Insertion of Section 7-A.</p> |
| <p>“7-A. “There shall be paid ex-gratia of rupees five lakh to the dependant of deceased member.”.</p> | <p>Ex-gratia.</p> |